

## सरोगेट के लिये मातृत्व अवकाश

**स्रोत: द हद्दि**

हाल ही में सरकार ने **सरोगेसी** के माध्यम से जन्म लेने वाले शिशुओं के मामले में सरकारी कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) और अन्य लाभ प्रदान करने के लिये **केंद्रीय सविलि सेवा (अवकाश) नयिमावली, 1972** में किये गए **संशोधन** को अधिसूचित किया।

- इस पहल का उद्देश्य **सरोगेसी के वकिल्प का चयन करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिये अवकाश नीतियों में मौजूदा कमियों में सुधार** करना है।

## अधिसूचित संशोधन नयिमां के प्रावधान क्या हैं?

- **सरोगेट और कमीशनगि माताओं के लिये मातृत्व अवकाश:** संशोधन में उन महिला सरकारी कर्मचारियों के लिये **180 दिनों के मातृत्व अवकाश** का प्रावधान किया गया है जिनके शिशु सरोगेसी के माध्यम से हुए हैं।
  - इसके अंतर्गत **सरोगेट माँ** और साथ ही **कमीशनगि माँ** (इंटेंडेड मदर) जिनके दो से कम जीवति बच्चे हैं, दोनों को शामिल किया गया है।
- **कमीशनगि पतिताओं के लिये पतित्व अवकाश:** इस नई नयिमावली में **"कमीशनगि पतिता"** (इंटेंडेड फादर के लिये भी **15 दिनों के पतित्व अवकाश** का प्रावधान किया गया है, जो सरकारी कर्मचारी हैं और जिनके दो से कम जीवति बच्चे हैं।
  - छुट्टी की प्रसुवधि को शिशु की जन्म तथिसे 6 माह के भीतर लिया जा सकता है।
- **कमीशनगि माताओं के लिये चाइल्ड केयर लीव:**
  - इसके अतरिकित, **केंद्रीय सविलि सेवा (छुट्टी) नयिमावली** के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, ऐसी कमीशनगि माँ जसिके दो से कम जीवति बच्चे हैं, चाइल्ड केयर लीव यानी शिशु देखभाल अवकाश के लिये पात्र है।

## Understanding Surrogacy and its Regulation

### SURROGACY

- Having another woman bear a child for a couple (or single women or men) to raise.
- The surrogate offers to carry a baby through pregnancy and then return the baby to the intended parent(s) once it is born.
- Surrogacy is an option to fulfill the desire to have a child of a couple for whom it is physically or medically impossible or undesirable to carry a baby to term on their own.
- There are two types of surrogacy – traditional surrogacy and gestational surrogacy.
- In Traditional Surrogacy, a surrogate mother is artificially inseminated, either by the intended father or an anonymous donor. The surrogate mother provides the egg and is thus genetically related to the child.
- In Gestational Surrogacy, an embryo is created using an egg and sperm produced by the intended couple and is transferred into the surrogate's uterus. The surrogate has no genetic link to the child. Her eggs cannot be used to conceive the child.
- The Surrogacy (Regulation) Bill seeks to allow and regulate Gestational Surrogacy.
- Surrogacy can be altruistic or commercial. In altruistic surrogacy, the surrogate is not paid for her services, except for medical expenses and insurance. In commercial surrogacy, the surrogate is paid over and above these expenses.
- The Surrogacy (Regulation) Bill seeks to ban commercial surrogacy but protect the altruistic surrogate through enhanced, prescribed payments (for medical expenses, food and care, longer-duration insurance).

### INDICATIONS FOR SURROGACY

- Opting for surrogacy is often a choice made when women are unable to carry children on their own.
- This can be for a number of reasons, including an abnormal uterus or a complete absence of a uterus either congenitally or post-hysterectomy.
- Women may have a hysterectomy due to complications in childbirth, medical diseases such as cervical cancer or endometrial cancer, or heart and renal conditions, etc

### WHAT DO OTHER COUNTRIES DO?

- Russia, Georgia, Ukraine, Columbia, Iran, and some states of the US allow commercial surrogacy
- France, Finland, Italy, Japan, Spain, Sweden, Switzerland, Hungary, Ireland, etc. have banned all forms of surrogacy.
- India seeks a middle path between these extremes, by banning commercial surrogacy (including for foreigners) while allowing and regulating altruistic surrogacy for all persons of Indian origin.
- Australia, Canada, Israel, Netherlands, New Zealand, South Africa, UK, Vietnam, Thailand, Cambodia, Nepal, Mexico have similar surrogacy practices as India seeks to establish.

//

## सरोगेसी और संबंधित वनियमन क्या है?

- **परचिय:**
  - यह एक ऐसी प्रथा है जिसमें एक महिला किसी इच्छति दंपत्तिके लिये बच्चे को जन्म देती है और जन्म के बाद उसे उन्हें साँपने का इरादा रखती है।
  - इसे केवल परोपकारी उद्देश्यों के लिये या ऐसे दंपत्तियों के लिये अनुमति दी जाती है जो सद्विध बांझपन या बीमारी से पीड़ित हैं।
  - बकिरी, वेश्यावृत्त या किसी अन्य प्रकार के शोषण जैसे वाणज्यिक उद्देश्यों के लिये सरोगेसी नषिदिध है।
  - सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुए बच्चे को दंपत्तिका जैविक (Biological) बच्चा माना जाएगा।
  - **मेडिकल टर्मनिशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, 2021** के प्रावधानों के अनुसार ऐसे भ्रूण का गर्भपात केवल सरोगेट माँ और अधिकारियों की सहमति से ही किया जा सकता है।
- **मापदंड:**
  - सरोगेसी का लाभ उठाने के लिये, दंपत्तिको कम से कम 5 साल तक विवाहित होना चाहिये, जिसमें पत्नी की आयु 25-50 वर्ष और पति की आयु 26-55 वर्ष के बीच होनी चाहिये।
  - जब तक बच्चा विकलांग या जानलेवा बीमारी से ग्रस्त न हो, तब तक उनका कोई जीवित बच्चा नहीं होना चाहिये।
  - दंपत्तिके पास पात्रता और अनविश्यता के प्रमाण-पत्र भी होने चाहिये, जो बांझपन को साबति करते हों और सरोगेट बच्चे के पालन-पोषण और हरिसत के लिये न्यायालय का आदेश भी होना चाहिये।
  - इसके अतिरिक्त, इच्छुक दंपत्तिको सरोगेट माँ के लिये 16 महीने के लिये बीमा कवरेज प्रदान करना चाहिये।
- **सरोगेट माँ के लिये मानदंड:**
  - वह दंपत्तिका नजदीकी रशितेदार होना चाहिये, विवाहित महिला होनी चाहिये और उसका अपना बच्चा भी हो, उसकी आयु 25-35 वर्ष हो तथा वह केवल एक बार सरोगेट बनी हो।
  - उसे सरोगेसी के लिये चकितिसीय एवं मनोवैज्जानिकि स्वास्थ्य प्रमाणपत्र की भी आवश्यकता है।
- **वनिधिमन:**
  - राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड तथा राज्य सरोगेसी बोर्ड, सरोगेसी क्लीनिकों को वनिधिमति करने के साथ-साथ उनके मानकों को लागू करने के लिये उत्तरदायी हैं।
  - यह अधिनियम व्यावसायिक सरोगेसी, भ्रूण बकिरी तथा सरोगेट माताओं अथवा बच्चों के शोषण या परतियाग जैसी प्रथाओं पर प्रतबिध लगाता है। उल्लंघन करने पर 10 वर्ष तक का कारावास या 10 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है।

## सरोगेसी से संबंधित कानून:

- [सरोगेसी \(वनिधिमन\) अधिनियम 2021](#),
- [सरोगेसी \(वनिधिमन\) नधिम, 2022](#)
- [सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी \[ART\] \(वनिधिमन\) अधिनियम, 2021](#)

और पढ़ें: [सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी, सरोगेसी \(वनिधिमन\) अधिनियम 2021](#)

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

**??????????:**

प्रश्न. मानव प्रजनन प्रौद्योगिकी में अभनिव प्रगतिके संदर्भ में "प्राक्केन्द्रक स्थानांतरण" (Pronuclear Transfer) का प्रयोग कसि लिये होता है। (2020)

- (a) इन वटिरो अंड के नषिचन के लिये दाता शुक्राणु का उपयोग
- (b) शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं का आनुवंशिकि रूपांतरण
- (c) स्टेम (Stem) कोशिकाओं का कार्यात्मक भ्रूणों में विकास
- (d) संतान में सूत्रकणिका रोगों का नरीध

उत्तर: (d)